**मै0 उत्तम शुगर मिल्स लि0 (डिस्टलरी यूनिट), ग्राम–खुण्डी लिब्बरहेड़ी, तहसील–रूड़की, जिला–हरिद्वार द्वारा डिस्टलरी यूनिट की क्षमता का विस्तारीकरण 62.5 के0एल0डी0 से 72.5 के0एल0डी0 (10 के0एल0डी0 माल्ट/केन जूस आसवनी की स्थापना) हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति (Prior Environment Clearance) के लिए दिनांक 18.03.2025 को आयोजित लोक सुनवाई की कार्यवाही का कार्यवृत।**

मै0 उत्तम शुगर मिल्स लि0 (डिस्टलरी यूनिट), ग्राम–खुण्डी लिब्बरहेड़ी, तहसील–रूड़की, जिला–हरिद्वार द्वारा डिस्टलरी यूनिट की क्षमता विस्तारीकरण 62.5 के0एल0डी0 से 72.5 के0एल0डी0 (10 के0एल0डी0 माल्ट/केन जूस आसवनी की स्थापना) हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई आयोजित किये जाने का अनुरोध ई0आई0ए0 (ड्राफ्ट) रिपोर्ट सहित उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुख्यालय, देहरादून में प्रस्तुत किया गया। उक्त क्षमता विस्तारीकरण का प्रस्ताव पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत प्रख्यापित पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ई0आई0ए0) अधिसूचना 2006 (यथासंशोधित) के अन्तर्गत आच्छादित है तथा पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई का प्रावधान है। उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नियमानुसार लोक सुनवाई की सूचना 30 दिन पूर्व दैनिक समाचार पत्रों यथा– "दैनिक जागरण" एवं "हिन्दुस्तान टाईम्स" में दिनांक 12.02.2025 को प्रकाशित की गयी थी। **(संलग्नक–01)।**

लोक सुनवाई, जिलाधिकारी महोदय, हरिद्वार द्वारा नामित श्री आशीष कुमार मिश्रा, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट, रूड़की की अध्यक्षता में दिनांक 18.03.2025 को प्रातः 11:00 बजे से मै0 उत्तम शुगर मिल्स लि0 (डिस्टलरी यूनिट), ग्राम–खुण्डी लिब्बरहेड़ी, तहसील–रूड़की, जिला–हरिद्वार में आयोजित की गयी। उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण की ओर से डा0 राजेन्द्र सिंह, क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, रूड़की द्वारा प्रतिभाग किया गया। लोक सुनवाई की उपस्थिति संलग्न है। **(संलग्नक–02)।**

सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय की अनुमति से क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रूड़की द्वारा उपस्थित जन समुदाय को लोक सुनवाई के सम्बन्ध में अवगत कराया गया। क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि लोक सुनवाई पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत प्रख्यापित पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ई0आई0ए0) अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के अनुसार आयोजित की जा रही है। मै0 उत्तम शुगर मिल्स लि0 (डिस्टलरी यूनिट) की ओर से पर्यावरणीय परामर्शी डा0 मनोज गर्ग द्वारा उद्योग में प्रस्तावित विस्तारीकरण के सम्बन्ध में प्रस्तुतिकरण प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुतिकरण में अवगत कराया गया कि क्षमता विस्तारीकरण के अन्तर्गत लगभग रू0 54.42 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है जिसमें रू0 82 लाख़ पर्यावरणीय प्रबन्धन योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु प्रस्तावित है। क्षमता विस्तारीकरण वर्तमान में उपलब्ध भूमि में प्रस्तावित है एवं अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता नहीं है। क्षमता विस्तारीकरण में 10 के0एल0डी0 माल्ट/केन जूस आधारित डिस्टलरी का उत्पादन प्रस्तावित है, जिस हेतु बारले (22 टन प्रतिदिन)/शुगर केन जूस (142 प्रतिदिन) की आवश्यकता होगी। क्षमता विस्तारीकरण हेतु अतिरिक्त 200 के0एल0डी0 जल (20 के0एल0/के0एल0 उत्पाद) की आवश्यकता होगी। 7 टन प्रति घण्टा क्षमता के अतिरिक्त ब्वायलर की स्थापना प्रस्तावित है जिसमें ईंधन के रूप में बायोमास लगभग 60 टन प्रतिदिन की खपत होगी। वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु बैग फिल्टर एवं 30 मी0 ऊची चिमनी की स्थापना प्रस्तावित है। चिमनी में वायु उत्सर्जन के निरंतर अनुश्रवण हेतु Online Continuous Emission Monitoring System (OCEMMS) की स्थापना प्रस्तावित है। उत्पादन प्रक्रिया से जनित स्पैन्ट वॉश को Multi Effect Evaporator (MEE) एवं Condensate Policing Unit के माध्यम से निस्तारित किया जाना है। शुद्धिकृत उत्प्रवाह को

शत्–प्रतिशत पुनः प्रयोग किया जाना है। प्रस्तावित क्षमता विस्तारीकरण हेतु परियोजना क्षेत्र में विभिन्न पर्यावरणीय घटकों जैसे वायु गुणवत्ता, ध्वनि स्तर, भू–जल की गुणवत्ता, सतही जल की गुणवत्ता, मिट्टी की गुणवत्ता, वनस्पति एवं जीव–जन्तु तथा सामाजिक–आर्थिक सर्वेक्षण आदि का अध्ययन किया गया, जिसके आधार पर पर्यावरणीय प्रभाव के न्यूनीकरण हेतु विभिन्न उपाय प्रस्तावित किये गये हैं।

प्रस्तुतिकरण के उपरान्त जन समुदाय से उद्योग के प्रस्तावित क्षमता विस्तारीकरण के सम्बन्ध में आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित किये गये। आपत्तियां/सुझाव का विवरण निम्नानुसार है:–

1. **निवासीगण ग्राम नसीरपुर अफजलपुर** द्वारा हस्ताक्षरित लिखित प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया गया। लिखित प्रत्यावेदन के अनुसार उत्तम शुगर मिल की चिमनीयों से निकलने वाले राख एवं बैगास के कारण वायु प्रदूषण की समस्या है जिसके कारण स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ रहा है। आम की पत्तियों पर राख जमा होने के कारण उत्पादन कम हुआ है तथा फल रोगग्रस्त हो जाते हैं। उद्योग से बहुत तेज दुर्गन्ध भी आती है। ग्रामवासियों द्वारा राख/वायु प्रदूषण से निजात दिलाने का अनुरोध किया गया। प्रत्यावेदन की प्रति संलग्न है।
2. **निवासीगण ग्राम मंडावली** द्वारा हस्ताक्षरित लिखित प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया गया। लिखित प्रत्यावेदन के अनुसार मिल की चिमनीयों से पूरे साल राख उड़ती है जिससे कपड़ों, अनाज को नुकसान होता है। मिल प्रबन्धन से कई बार शिकायत करने के उपरान्त भी आज तक कोई समाधान नहीं हुआ। ट्रैक्टर ट्रोलियों से लगातार राख सड़कों पर गिरती है जो सूखने पर उड़ती है। मिल के कैमिकल युक्त पानी के कारण किसानों की फसल खराब हो रही है। प्रत्यावेदन में उत्तम शुगर मिल के खिलाफ कड़ी कार्यवाही का अनुरोध किया गया है। प्रत्यावेदन की प्रति संलग्न है।
3. **श्री अरविंद, ग्राम–खिरवी** द्वारा अनुरोध किया गया है कि चिमनी से निकलने वाला धुआं साफ होना चाहिए ताकि स्थानीय लोगों को प्रदूषण की समस्या न रहे। उद्योग से निकलने वाले पानी का समुचित ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए ताकि भू–जल दूषित न हो। मिल प्रबन्धन द्वारा किसानों को खाद सस्ती दरों पर उपलब्ध करायी जाये। श्री अरविंद द्वारा उद्योग के क्षमता विस्तारीकरण पर सहमति व्यक्त की गयी।
4. **श्री वेद भूषण, ग्राम प्रधान नसीरपुर** द्वारा अवगत कराया गया कि मिल की चिमनीयों से निकलने वाली राख के कारण ग्राम नसीरपुर एवं हरिचन्दपुर में अत्यधिक समस्या है। समस्या का निराकरण प्राथमिकता के आधार पर किया जाना आवश्यक है। श्री वेद भूषण द्वारा अवगत कराया गया कि मिल में नसीरपुर के लोगों को रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया है। अतः ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराया जाये।
5. **श्री ऋषिपाल सिंह, निवासी नसीरपुर** द्वारा मांग की गयी कि उत्तम शुगर मिल से निकलने वाले वायु प्रदूषण की समस्या का निराकरण किया जाये। श्री ऋषिपाल सिंह द्वारा उद्योग में वर्तमान जल खपत एवं क्षमता विस्तारीकरण के अन्तर्गत जल खपत की मात्रा के सम्बन्ध में बतायी गयी सूचनाओं को भ्रामक बताया। श्री सिंह द्वारा अनुरोध किया गया कि उद्योग में मानकों के अनुसार चिमनी की ऊचाई एवं प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाऐं सुनिश्चित् की जाये ताकि वायु प्रदूषण से निजात मिल सके।
6. **श्री राजेन्द्र सिंह, ग्राम–भरतपुर** द्वारा उत्तम शुगर मिल से जनित वायु/ध्वनि प्रदूषण की समस्या के तत्काल निराकरण की मांग की गयी। श्री सिंह द्वारा मिल को एल्कोहॉल के उत्पादन के इतर अन्य उत्पादों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
7. **श्री पवन सिंह, निवासी मोहम्मदपुर जट** द्वारा अवगत कराया गया कि चिमनीयों से राख एवं दुर्गन्ध की समस्या रहती है। यदि मिल प्रबन्धन द्वारा शीघ्र प्रदूषण की समस्या का निराकरण नहीं किया जाता है तो उद्योग के विरूद्ध विरोध/धरना प्रदर्शन किया जायेगा।

8. **श्री रामपाल सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन** द्वारा अवगत कराया गया कि मिल से निकलने वाले वायु प्रदूषण एवं ध्वनि प्रदूषण की समस्या से मिल प्रबन्धन को पूर्व में भी समय–समय पर अवगत कराया गया है। मिल द्वारा किसी प्रकार का गंदा पानी नाले में निस्तारित न किया जाये। श्री सिंह द्वारा अवगत कराया गया कि डिस्टलरी की स्थापना से किसानों को गन्ने का भुगतान समय पर किया जा रहा है। श्री सिंह द्वारा मिल प्रबन्धन से अनुरोध किया गया कि समस्याओं का निराकरण शीघ्र किया जाये।
9. **श्री पुष्पेन्द्र कुमार, निवासी नसीरपुर** द्वारा अवगत कराया गया कि विगत वर्ष नसीरपुर गांव में वायु गुणवत्ता का अनुश्रवण किया गया तथा पानी के जल नमूनें एकत्र किये गये। किन्तु आंकड़ों को सार्वजनिक नहीं किया गया। श्री पुष्पेन्द्र कुमार द्वारा अनुरोध किया गया कि मिल से निकलने वाले वायु प्रदूषण की समस्या का निराकरण प्राथमिकता के आधार पर किया जाये।
10. **श्री विनोद राठी, निवासी लिब्बरहेड़ी** द्वारा भू–जल संभरण की योजना का विवरण चाहा गया। श्री राठी द्वारा अवगत कराया गया कि उद्योग से निकलने वाले पानी से फसलों को नुकसान होता है। श्री राठी द्वारा प्रदूषण की समस्याओं का शीघ्र निराकरण की मांग की गयी।
11. **श्री प्रदीप कुमार, निवासी मंडावली** द्वारा अवगत कराया गया कि शुगर मिल की चिमनी से राख के निकलने की गम्भीर समस्या है। श्री कुमार द्वारा अनुरोध किया गया कि राख का अनधिकृत रूप से निस्तारण न किया जाये।
12. **श्री टोनी वर्मा, निवासी खेड़ा जट** द्वारा केन यार्ड में राख के निस्तारण पर आपत्ति की गयी है। श्री वर्मा द्वारा मांग की गयी कि केन यार्ड में धूल निवारण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।
13. **श्री सुरेन्द्र सिंह, निवासी हरचन्दपुर** द्वारा मांग की गयी कि उत्तम शुगर मिल से जनित वायु प्रदूषण एवं राख उड़ने की समस्या का तत्काल निराकरण आवश्यक है। श्री सिंह द्वारा मिल प्रबन्धन से अविलम्ब कार्यवाही का अनुरोध किया गया।
14. **श्री बिरेन्द्र, प्रधान खेड़ा जट** द्वारा अवगत कराया गया कि मिल से जनित वायु प्रदूषण एवं राख उड़ने की समस्या का निराकरण आवश्यक है। श्री बिरेन्द्र द्वारा मिल प्रबन्धन से अविलम्ब कार्यवाही का अनुरोध किया गया।
15. **श्री बालेन्द्र, उप प्रधान, ग्राम–लिब्बरहेड़ी** द्वारा अवगत कराया गया कि उद्योग से प्रदूषण की समस्या है। चिमनीयों से निकलने वाली राख का नियंत्रण किया जाना आवश्यक है।
16. **श्री अशोक चौधरी, पूर्व अध्यक्ष, गन्ना विकास, लिब्बरहेड़ी** द्वारा अवगत कराया गया कि मिल से निकलने वाले वायु प्रदूषण की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण किया जाये। श्री चौधरी द्वारा मिल प्रबन्धन से अनुरोध किया गया कि स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहित कर "Eat Right India" में सहयोग किया जाये। श्री चौधरी द्वारा मिल प्रबन्धन से स्थानीय लोगों की समस्याओं को गम्भीरता से लेने का अनुरोध किया गया।

लोक सुनवाई प्रकिया के संचालन के दौरान क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड रूड़की द्वारा जन सामान्य द्वारा रखे गये मुख्य बिन्दुओं को जन समुदाय के समक्ष रखा गया। तदोपरान्त श्री एस0एल0 शर्मा, कार्यकारी निदेशक मै0 उत्तम शुगर मिल्स लि0 के द्वारा जन समुदाय द्वारा रखे गये मुख्य बिन्दुओं पर उद्योग की ओर से निम्नलिखित् बिन्दुओं पर प्रतिबद्धता ज्ञापित की गयीः–

1. श्री शर्मा द्वारा अवगत कराया गया कि प्रश्नगत समस्याऐं चिनी मिल से सम्बन्धित हैं। चिनी मिल में धुआं/राख की समस्या के निराकरण हेतु ब्वायलरों में आवश्यक परिवर्तन/सुधार किया जाना प्रस्तावित है। शीघ्र ही तकनीकि टीम द्वारा ब्वायलरों का निरीक्षण प्रस्तावित है।

श्री शर्मा द्वारा आश्वस्त किया गया कि धुआं/राख की समस्या का प्राथमिकता के आधार पर उत्तम शुगर मिल की समस्याओं का निराकरण किया जायेगा।

2. स्थानीय लोगों को योजना के सम्बन्ध में श्री शर्मा द्वारा आश्वस्त किया गया कि उद्योग में 70%–80% स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान किये जायेगें।
3. श्री शर्मा द्वारा अवगत कराया गया कि डिस्टलरी उद्योग "शून्य उत्प्रवाह" पर आधारित उद्योग है। डिस्टलरी से किसी भी प्रकार का उत्प्रवाह निस्तारित नहीं किया जायेगा।

लोकसुनवाई में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट, रूड़की द्वारा उद्योग प्रबन्धन से अपेक्षा की गयी कि समस्याओं की गम्भीरता को समझते हुए निराकरण किया जाये। उद्योग में वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु उन्नत तकनीकि का प्रयोग किया जाये तथा उद्योग में Self-Monitoring Mechanism विकसित किया जाये। स्थानीय लोगों को रोजगार में समानता के रूप में उपलब्ध कराया जाये। अध्यक्ष महोदय द्वारा सी0एस0आर0 मद में प्रस्तावित लागत में बढ़ोत्तरी का अनुरोध किया गया है। सी0एस0आर0 के अन्तर्गत गॉवों की सूची एवं स्थानीय लोगों से सम्पर्क कर आवश्यक कार्यो का चिन्हिकरण किया जाये, ताकि उपलब्ध सी0एस0आर0 मद का समुचित उपयोग किया जा सके। अध्यक्ष द्वारा प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं के सुचारू संचालन एवं सुदृढ़िकरण हेतु क्षेत्रीय अधिकारी को नोडल नियुक्त किया गया तथा उद्योग प्रबन्धन को निर्देशित् किया गया कि 15 दिनों के अन्तर्गत कार्ययोजना तैयार कर उक्त का समयबद्ध रूप से कियान्वयन सुनिश्चित् किया जाये।

अध्यक्ष महोदय द्वारा जन समुदाय को अवगत कराया गया कि जन सुनवाई में उनके द्वारा रखे गये लिखित/मौखिक सुझाव/आपत्तियों को संकलित किया गया है जिसे विडियोग्राफी, फोटोग्राफ सहित पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति आवेदन पर अग्रेतर विचार हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण (SEIAA) उत्तराखण्ड, देहरादून को प्रेषित् की जायेगी।

अन्त में अध्यक्ष महोदय के द्वारा धन्यवाद के साथ लोक सुनवाई का समापन किया गया।

संलग्नकः–

1. लिखित प्रत्यावेदन।
2. फोटोग्राफी –03 सैट।
3. विडियो रिकार्डिंग –03 पैनड्राईव।
4. उपस्थिति पंजिका –03 प्रतियां।

(डा0 राजेन्द्र सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
रूड़की, जिला–हरिद्वार।

(आशीष कुमार मिश्रा)
ज्वाइंट मजिस्ट्रेट,
रूड़की।

जिलाधिकारी,
हरिद्वार।